कार्यालयः— जिला शिक्षा पदाधिकारी, कटिहार

साक्षरता प्रशाखा

निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 2014, दिनांक 04.09.2019 के आलोक में वैसे भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक जिनका अभ्यावेदन पूर्व में जिला साक्षरता कार्यालय, कटिहार में जमा कराया गया हो तथा समूह 'घ' के रिक्त पद पर समायोजन संबंधी दावे को जिला स्तरीय कमिटि द्वारा अस्वीकृत/खारिज कर दिया गया है, परन्तु वो निम्नांकित शर्त्तों का अनुपालन करते होंः—

1. वैसे अनुदेशक जिनके द्वारा व्यक्तिगत नाम से समायोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दिनांक–26.02.2016 तक कोई वाद दायर किया गया हो।
2. अनौपचारिक शिक्षा योजना अन्तर्गत किसी एक अवधि में लगातार तीन वर्षों तक कार्यरत रहे हों।

एतद् द्वारा कटिहार जिला के सभी भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को जो उपर्युक्त निर्धारित शर्त्तो को पूर्ण करते हों को निदेशित किया जाता है कि दिनांक–09.10.2019 तक कार्यालय अवधि में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता) कार्यालय, कटिहार में अपना दावा/आपत्ति जमा करा सकते हैं। प्राप्त दावा/आपत्ति के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों की पुनः जाँच करायी जायेगी। अनुदेशक समायोजन से संबंधित मामले पर विचार के लिये यह अंतिम अवसर माना जायेगा तथा इसके बाद इस मामले पर पुर्नविचार मान्य नहीं होगा।

17/9/19

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(साक्षरता)–सह–संयोजक,
अनुदेशक समायोजन समिति, कटिहार।